न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—01 / 2021 (2021 / 2) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लक्ष्मण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पारस पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—घीसी पत्नि नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—भुरा पिता देवा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—लेहरूलाल पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मीठुलाल पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घीसु पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नारायण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीया
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांकः—03.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्डल गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 5 के संयुक्त खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 251 / 169 रकबा 0.84 है0, आराजी संख्या 249 / 161 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित भूमियों के चारो तरफ थोहरो की बाड़ कर रखी है विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमियो से कोई लेना देना नही है तथा जबरन ताकत के बल पर भूमियो को हड़पने का प्रयास करते है एवं प्रार्थीगण को भूमियो से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियो पर मवेशी घुसा देते है एवं प्रार्थीगण की मवेशियो को बाहर निकाल देते है। दिनांक 18.12.2020 को रात्री को विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 हम सलाह होकर 5 ट्रीप पत्थरो के डाल दिये तथा मना किया तो गाली गलोच की और हमारे साथ मारपीट कर डाली और धमकी दी की तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते हो। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अतिआवश्यक हो गया है। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है और विपक्षीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल करने और उस पर पत्थर डालने व किसी प्रकार का निर्माण कर बलात् आधिपत्य जमाने व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में, आवागमन करने मे बाधा [illegible] न व प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाने व कब्जे काश्त करने में [illegible] करने का कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया [illegible] णित है [illegible] सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या [illegible] 1 / 169 रकबा 0.84 [illegible] राजी संख्या 249 / 161 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि में विपक्षीगण प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त व आवागमन करने में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:53 IST
Reason: SelfAttested

स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई स्थाई व अस्थाई निमार्ण न तो स्वयं करे व न अन्य करावे। तथा प्रार्थीगण को विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भू–भाग से थोहरों की बाड़ को काटकर या अन्य किसी रूप से नुकसान नहीं पहुंचावें एवं शान्ति पूर्वक भूमियों का उपयोग उपभोग करने देवे व अनावश्यक हस्तक्षेप नही करें व न किसी अन्य से करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 12.01.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 6 फौरमल पक्षकार है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात के चारो ओर थोहर की बाड़ लगी हुई है बाकी तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 से 4 का प्रार्थीगण की भूमि से कोई लेना देना नही है तथा विपक्षी 1 से 4 प्रार्थीगण की भूमि पर न तो कब्जा करना चाहते है और न बेदखल करना चाहते है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी में न तो मवेशी प्रवेश कराते है तथा न ही गाली गलौच करते की है। प्रार्थीगण द्वारा तमाम तथ्य बनावटी व झुठे अकिंत किये है। विपक्षीगण के बाड़े का ग्राम पंचायत खेमाणा ने सन् 1961 में पट्टा दिया गया है जिस पर विपक्षीगण 60 वर्षो से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षीगण का बाड़ा आबादी भूमि मे है तथा बाड़े के दो तरफ दुसरे बाड़े की दीवार है तथा एकतरफ प्रार्थीगण की कृषि भूमि की थोहर की बाड़ बनी हुई है। प्रार्थीगण की भूमि अपने बाड़े पर दीवार कराने के लिये पत्थर डाले है जो ग्राम खेमाणा की आबादी भूमि होकर विपक्षीगण का पट्टे शुदा है। ग्राम पंचायत से विपक्षी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण जबरन विपक्षी का बाड़ा हड़पना चाहते है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व नाजायज प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ठया मामला नही है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन अर्थ में नही किया जा सकेगा तथा विपक्षीगण अपने पट्टे शुदा बाड़े का उपयोग उपभोग नही कर पायेंगे जिससे विपक्षीगण को भारी असूविधा होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। मजीद कथन के रूप मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को नाजायज परेशान व जलील करने के आशय से विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि से विपक्षीगण का कोई लेना देना नही है और न ही विपक्षीगण का द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में दंखलदाजी की जा रही है। प्रार्थीगण ने बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के विपक्षीगण को अकारण पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो कानुनन गलत होकर अवैध है। प्रार्थीगण द्वारा थाना रायपुर में विपक्षीगण के विरूद्व रिपोर्ट देने पर पटवारी से जांच करवाने पर विपक्षीगण का बाड़ा आबादी भूमि में पाया गया इसके पश्चात प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को परेशान करने के लिए ग्राम पंचायत के संरपच से मिलकर विपक्षीगण को आबादी भूमि में अवैध कब्जा करने का गलत नोटिस दिलवा दिलवाया गया जिसकी प्रति साथ पेश है। उक्त प्रार्थनापत्र विपक्षीगण के विरूद्व विधी विरूद्व होने से सव्यय खारीज फरमाया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 5 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जिसे विपक्षी 1 से 4 का कोई लेना देना नही है फिर भी प्रार्थीगण को परेशान करते है जमीन आबादी के नजदीक है जिसे कब्जा करने पर आमाद है, खातेदार प्रार्थीगण है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अगर विपक्षी प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है जो शामिल पत्रावली है अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के पास आबादी भूमि का पट्टा है और विपक्षीगण ग्राम पंचायत द्वारा दी गई पट्टे में वर्णित भूमि पर ही कब्जा है प्रार्थीगण की आराजियात से विपक्षीगण का कोई कोई लेदा देना नही है। विपक्षीगण के पास वर्ष 1961 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा है जिसके आधार पर विपक्षीगण आबादी भूमि में काबिज है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही है विपक्षीगण द्वारा पत्थर आबादी भूमि में डाले हुए है। प्रार्थीगण को कोई नुकसान नही होकर प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय स्थगन लेने से विपक्षीगण को नुकसान हो रहा है विपक्षीगण के पास आबादी भूमि का पट्टा है इस प्रार्थना पत्र से प्रतिवादीगण को नही रोका जा सकता है प्रार्थीगण लॉ का मिसयूज कर रहा है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार है प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 251/169 एवं 249/161 पर मौका रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीगण का कोई कब्जा नही है। विपक्षीगण ग्राम गोविन्दपुरा की आबादी की आराजी संख्या 145/170 पर कब्जा होकर थोहर की बाड़ लगा रखी है। विपक्षीगण के द्वारा आबादी के आराजी संख्या 245/170 पर अपने पट्टेशुदा कब्जे की भूमि पर ही पत्थर डाल रखे है। विपक्षीगणो का प्रार्थीगण की आराजियात में पत्थर नही डाल रखे है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है और विपक्षीगण ग्राम पचायत द्वारा आबादी भूमि से जरिये पट्टा से दी गई भूमि पर काबिज है दोनो पक्ष अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। दोनो अधिवक्ताओ द्वारा भी अन्त में बहस में निवेदन किया कि हम एक दुसरे के कब्जे में दखल नही करेंगे मौका रिपोर्ट में जो स्थिति दर्शायी गई है उसी अनुसार काबिज रहेंगे। इस अनुसार दोनो पक्षो को समझाईश करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना ही उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सम्बन्ध में दोनो पक्षो को समझाईश की जाती है कि अपने अपने हक हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि पर काबिज रहे अनावश्यक एक दुसरे पक्ष की भूमि पर कब्जा नही करे। इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.08.2021

Signature Not Verified

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:53 IST
Reason: SelfAttested